UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1214/2ई0 दिनांक 17/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख—मउडियार—ग्वातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.41 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के पत्रांक सं01957/FP/UK/ROAD/11434/20215 दिनांक 15.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.820 है0 ग्राम कर्मी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.820 है0 ग्राम कर्मी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रु0 27,03,603.00 मात्र (रु0 सताईस लाख तीन हजार छः सौ तीन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 119248668241 Dated 05-09-2019 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न—1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.820 है0 ग्राम कर्मी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 36/छब्बीस—28 वन/2017—18 दिनांक 27.12.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्न—2)
2	भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0सी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN 119248668241 Dated 05-09-2019 द्वारा रु0 28,97,370.00 मात्र (रु0 अठाईस लाख सतानब्बे हजार तीन सौ सत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न—1 के अनुसार)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न—3)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV ect.) को बैव पोर्टल पर ऑनलाइन जनरेट किए गए चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति के रुप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 119248668241 Dated 05-09-2019 द्वारा रु0 56,00,973.00 मात्र (रु0 छप्पन लाख नौ सौ तिहत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है(संलग्न 01 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जॅहा–जॅहा संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–4)

संलग्न–चार प्रतियों में।

भवदीय,
17/06/2023
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट